खारिज
20.2.2025

2024/739

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सन्तोषकुमारी बनाम रमेश आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) जाब्ता दिवानी प्रकरण संख्या 78 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.11.2024	केवियट कर्ता ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148ए सी.पी.सी. पेश किया। वकील केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो स्थगन/आदेश जारी करने से पूर्व मुझ केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 20.02.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20.2.2025	पत्रावली पेश हुई। केवियट प्रार्थना पत्र के 90 दिवस पूर्ण हो चुके है। इसलिए केवियट प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.01 13:21:01 IST
Reason: SelfAttested